

>

Title: Need to issue Scheduled Caste Certificates to the people belonging to Dhangar Caste which is already included in the list of Scheduled Castes.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के 1950, 1964 और 1970 के आदेश तथा संविधान के अनुच्छेद 341 के मुताबिक अनुसूचित जाति की सूची में जो जातियां श्रेणीबद्ध हैं, उनमें 27वें स्थान पर धनगर जाति का नाम है। देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेटिशन संख्या 16458, महेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार 20 अक्टूबर, 2008 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इनके प्रमाण-पत्र बनाए जाएं। किस जाति का संशोधन करना, उसे जोड़ना या निकालना, यह राज्य सरकार का काम नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया तथा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह का आदेश दिया कि धनगर जाति में जो लोग आते हैं, उनके प्रमाण पत्र बनाए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लोग बहुत परेशान हैं तथा जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं। एक जनवरी को मथुरा में लाठी चार्ज हुआ है। मैं आपकी मार्फत भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसका संज्ञान ले और धनगर जाति के लोगों के अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र बनाए जाएं।

MR. SPEAKER: Each party will get one chance.